REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2021

# सतपुड़ांचल में जंगल सत्याग्रह – छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में

डॉ. धनाराम उइके
सहायक प्राध्यापक इतिहास,
श्री.श्री.ल.ना.शासकीय पेंचव्हेली स्नातकोत्तर, महाविद्यालय परासिया जिला – छिंदवाड़ा ( म.प्र.).

**शोध सारांश –**

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न आंदोलनों का महत्तवपूर्ण योगदान है। जन जाग्रति के परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं भारत छोडो आंदोलन में देश के कोने – कोने से जनता की भागीदारी हुई। प्रस्तुत शोध पत्र में सतपुड़ांचल में जंगल सत्याग्रह का अध्ययन किया गया है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आव्हान किया गया, यह पूरे राष्ट्र में समुद्र तट व विशाल पानी वाले स्थानों पर नमक बनाकर 'नमक कानून' तोड़कर चलाया गया । साथ ही, सतपुडांचल ऐसा क्षेत्र है, जहाँ दूर– दूर तक विशाल जलराशि वाले स्थान या समुद्रतट नही थे। 'नमक कानून' के स्थान पर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये 'वन कानून' के विरोध में वन कानून का उल्लंघन कर अहिंसात्मक रूप से 'जंगल सत्याग्रह' चलाया गया ।

**परिभाषिक शब्द –** सतपुड़ांचल, जंगल सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आदिवासी।

**प्रस्तावना –**

ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जंगलों को हरे सोने की खान मानकर दोहन आरंभ किया । उनके द्वारा "वन कानून" बनाया गया जिसके अंतर्गत रहवासियों को जलाऊ लकड़ी, कास्तकारी उपयोग हेतु लकड़ी, मवेशियों को जंगल में चराने व घास काटने पर प्रतिबंध था। जंगलों के मूल निवासी आदिवासी और दीगर जनजातियों को उन्हीं के जंगल से भगाना प्रारंभ कर दिया। ये वर्ग निरंतर अंग्रेजों के इस अत्याचार से तंग होता रहा और संघर्ष करता रहा लेकिन उनके प्रयास को मुखर किया सन् 1930 ई. के जंगल सत्याग्रह ने । उन दिनों महात्मा गाँधी ने नमक कानून तोड़कर देश को नई दिशा प्रदान की। सतपुडांचल में चूँकि समुद्र नहीं था। अतः नमक सत्याग्रह प्रारंभ नही हो सका । पं. डी.पी. मिश्र ने 1930 में नमक सत्याग्रह करना चाहा, उन्होनें मोतीलाल नेहरू से इजाजत ली पर वे जेल चले गए उनके मूल विचार का प्रभाव रहा। यहाँ नमक बनाकर नमक विधान भंग करना संभव नही था। सतपुडांचल एक वनाच्छादित क्षेत्र है, इसलिये यहाँ का जनमानस दोषपूर्ण जंगल कानूनों को भंग करने की और उन्मुख होने लगा।

## उद्देश्य –

आधुनिक भारतीय इतिहास के इस कालखंडीय सिंहावलोकन में उन सभी प्रसंगों, घटनाओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। जिन्हे समकालीन कर्णधारों ने एवं आम नागरिको ने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा । 1930–34 के संविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जंगल संत्याग्रह सतपुडांचल के बालाघाट, सिवनी,छिदवाड़ा, बैतुल आदि जिलों में भी चलाया गया, जिसमें जो भी घटनायें सत्याग्रह धरना, बहिष्कार कार्यक्रम आदि में अंग्रेजों के अत्याचार तथा दमन का शिकार हुए लोगों को तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिर्वतन आये उनका समुचित सविस्तार वर्णन करने का प्रयास किया जा रहा है।

## सतपुड़ांचल –

सतपुड़ा शब्द की उत्पति सप्तपुत्र शब्द से हुई है, अनके विद्वानों का मत है कि सतपुडांचल में सात पर्वत श्रृंखला मौजूद है, इस कारण इस क्षेत्र को सप्तपुत्र कहा जाता है। बाद में इस क्षेत्र को सतपुड़ा कहा जाने लगा । सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी महादेव पहाड़ी एवं मैकल पहाड़ी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत हैं। सतपुड़ा के भौगोलिक दृष्टिकोण से तीन प्रमुख भाग है। पूर्वी भाग को मैकल पर्वतश्रेणी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत अनूपपूर, डिंडोरी, मण्डला, बालाघाट जिले हैं। मध्य भाग को महादेव पर्वत कहा जाता है। जिसके अंतर्गत सिवनी, छिन्दवाड़ा, नरसिहपुर, होशगांबाद, हरदा, बैतुल जिले हैं। पश्चिमी भाग को राजपीपला पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत बुरहानपुर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी जिले हैं।

## सिवनी जिला में जंगल सत्याग्रह –

सिवनी के तुरिया नामक स्थान पर मूका लुहार तथा उसके अनुयायियों ने घोषणा की कि वे 9 अक्टूबर को खवासा में घास काटकर जंगल कानून तोडगें। फोरन ही मूका लूहार को गिरफ्तार कर लिया गया।[1] इस गिरफ्तारी पर रोश प्रकट करने के लिए लगभग 400 आदिवासीयों का समूह पुलिस कैम्प की ओर चल पड़ा। उनके हाथों में हॅसिए थे, जिससे घास काटकर वे वन विधानो को भंग करना चाहते थे, परंतु पुलिस ने हिंसात्मक कार्यवाही की आशंका का बहाना लेकर उन पर गोलियां चला दी जिसमें 1 पुरूष एवं 3 स्त्रियाँ मारी गई एवं लगभग 30 स्त्रियाँ एवं पुरूष घायल हुये।[2]

- प्रदुलेग बाई, तुरिया, सन् 1930 में गोली से मृत्यु ।
- देमोबाई, तुरिया, सन् 1930 में गोली से मृत्यु ।
- विरजू भोई,तुरिया, सन् 1930 में गोली से मृत्यु ।
- रेनोबाई, तुरिया, सन् 1930 में गोली से मृत्यु ।

जंगल सत्याग्रह में भाग लेने वाले आदिवासियों को भयभीत करने के लिए मध्यप्रांत शासन ने कोड़े लगाने का दण्ड प्रारंभ किया। अगस्त से दिसम्बर मास तक जंगल सत्याग्रह में भाग लेने वाले 164 आदिवासीयों को कोड़े लगाने का दण्ड देकर दारूण वेदना पहुचाई।[3]

## बैतूल जिला में जंगल सत्याग्रह –

जंगल सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू से जो कि तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की गिरफतारी के बाद उनका कार्य देख रहे थे, से अनुमति प्राप्त की गई। जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ बैतूल से हुआ । इसका नेतृत्व श्री घनश्याम सिंह गुप्त करने वाले थे, किन्तु वे नहीं पहुँचे सके। अतः बैतूल के ही दीपचंद गोठी ने नेतृत्व किया। वे बंदी बनाये गये। बैतूल में चिखलार, बंजारीढ़ाल, जम्बाड़ा, भैसदेही, खार आदि ग्रामों के जंगलों में सत्याग्रह किया गया था।[4]

## चिखलार में जंगल सत्याग्रह –

प्रथम जंगल सत्याग्रह बैतूल में करना निश्चित हुआ। बाबू दीपचंद्र गोठी ने चिखलार के सरकारी जंगल में घास काटकर जंगल कानून तोड़ा।

### बंजारी ढ़ाल में जंगल सत्याग्रह एंव गोलीबारी –

जिले मे दूसरा जंगल सत्याग्रह शाहपुर तहसील के दो ग्रामों बंजारी ढ़ाल एवं सातलदेही में हुआ था। यहाँ पर एक खूंखार एवं उग्र विचारधारा के देश भक्त सरदार गंजनसिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया गया ।

### खार में जंगल सत्याग्रह –

श्रीमती राधाबाई ने अन्य महिलाओं के साथ मुलताई अमरावती रोड पर पट्टन के पास खार के जंगल में जंगल सत्याग्रह किया गया था। इस अवसर पर बैतूल और अमरावती जिले के अनेक स्त्री पुरुष वहां उपस्थित थे। सत्याग्रह शांतिपूर्ण समाप्त हो गया, कोई गिरफ्तार नहीं किया गया।

### नीलगढ जंगल सत्याग्रह –

भैंसदेही तहसील के नीलगढ़ के सरकारी जंगल में श्री आनंद राव लोखण्डे की धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती बाई लोखण्ड़े ने श्रीमती बहिनाबाई लोखड़े, राधाबाई महाले तथा झनकूबाई कोरकू के साथ सत्याग्रह कर जंगल कानून भंग किया था। अन्य कई महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया।

### उत्तमसागर में जंगल सत्याग्रह–

मासोद के पास उत्तमसागर पर्वतमाला के सरकारी जंगल में बालकृष्ण पटेल ( प्रभातपट्टन ) ने घास की एक पुली काटकर जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस सत्याग्रह में मल्लुजी खाड़े, नरखेड एवं तिवरखेड के श्री खुशरंगराव मराठा तथा मौजीलाल पटने ने भी भाग लिया था। इस सत्याग्रह के सिलसिले में अनेक लोग गिरफ्तार किये गये थे। बालकृष्ण पटेल को एक वर्ष की सजा हुई थी तथा मल्लु खाड़े को पन्द्रह माह की सजा हुई थी। उत्तमसागर में कुछ महिलाओं ने भी जंगल सत्याग्रह किया था।

### मालेगांव एवं झिरी में जंगल सत्याग्रह –

भैंसदेही तहसील के मालेगांव जंगल में रामजी कोरकू ने और प्रभातपट्टन के पास झिरी (जलप्रपात) के जंगल में जुगरु गोंड तथा निम्बाजी ने सत्याग्रह किया था। इनके साथ अन्य कई सत्याग्रही भी थे। ये तीनों सत्याग्रही बन्दी बनाकर जेल भेज दिये गये।

### जंगल सत्याग्रह की समाप्ति –

अक्टूबर 1930 में धीरे–धीरे जंगल सत्याग्रह शासन के कठोर दमनचक्र के कारण समाप्त हो गये। इन जंगल सत्याग्रहों में जिले की जनता ने (विशेषकर आदिवासी) शासन के दमनचक्र का जो प्रतिकार किया था, यद्यपि वह गाँधी जी के अहिंसा के सिद्धान्त का उल्लंघन था, परन्तु वह अपने आप में एक मिसाल है। "राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल जिले में वर्ष 1930 में असंख्य गिरफ्तार लोगों में से लगभग 200 व्यक्तियों को कारावास हुआ था। इन्ही दिनों सरकार ने महाकौशल के "लोकमत", "कर्मवीर", तथा "स्वदेश" पत्रों पर प्रहार किया । यहाँ इस भद्रअवज्ञा आन्दोलन में पूरे महाकौशल में 2,255 कांग्रेस सेवक गिरफ्तार हुए और उन्हें जेल की यातनाएं सहन करनी पड़ी।

### छिन्दवाड़ा जिले में सत्याग्रह –

छिन्दवाड़ा जिले में सत्याग्रह 21 अगस्त 1930 ई. को नागपुर सड़क मार्ग पर छिन्दवाड़ा से 40 कि.मी. दूर खूटामा (रामाकोना) के सरकारी जंगल में प्रारम्भ हुआ था। इस आन्दोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ साल्पेकर ने किया था। जंगल कानून तोड़े जाने की पूर्व संध्या पर श्री व्ही.डी. साल्पेकर का म्युनिसिपल कमेटी छिन्दवाड़ा की ओर से एक मान पत्र 19 अगस्त का टाउन हॉल में लगभग 5000 लोगों की उपस्थिति में दिया गया ।

मि. साल्पेकर 63 वर्ष के थे वे जिस जत्थे का नेतृत्व कर रहे थे उसमें 50 स्वयं सेवक थे । उन सबने 21 अगस्त को 12:30 बजे दोपहर में रक्षित जंगल क्षेत्र में प्रवेश किया। जिला कप्तान और वन क्षेत्रफल उस

स्थान पर उपस्थित थे। जिलाधीश और जिला वन अधिकारी जंगल में एक मील की दूरी पर एक बंगले में थे, पर्याप्त पुलिस टुकड़ी तैयार थी। अधिकारीयों द्वारा श्री साल्पेकर को जंगल कानून न तोड़ने को कहा गया । उन्होनें यह संदेश मानने से इंकार कर दिया। वे अपने 50 स्वयं सेवकों के साथ चांदी के हँसिये से घास काट कर जंगल कानून को तोड़ा । भारतीय दण्ड विधान की धारा 379 के अन्तर्गत चलान प्रस्तुत किया गया। मि. साल्पेकर ने एक छोटा सा वकतव्य दिया कि उन्होनें घास कांग्रेस के ओदश पर स्वराज्य को नजदीक लाने के लिए काटी है। यह पूछे जाने पर कि क्या वे ऐसा वचन देने के लिए तैयार है, कि वह पुनः ऐसा नहीं करेगें, उनको छोड़ा जा सकता है। उन्होनें कहा वह फिर भी ऐसे ही करेगें अदालत ने जब उन्हे 6 माह की साधारण कैद की सजा दी और उन्हें "अ" और श्रेणी में रखने का आदेष दिया, जिला जज का व्यव्हार आदर सूचक नम्र रहा।

## मि. नीलकंठ राव गुडे के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह –

इस घटना के पष्चात् सात सत्याग्रहियों सहित मि. नीलकंठ राव गुडे प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी छिन्दवाड़ा के नेतृत्व में एक दल फिर से सरकारी रक्षित वन में बहुत उत्साह वर्धक दृष्य के मध्य प्रविष्ट हुआ और घास काटते हुए गिरफ्तार घोषित किया गया । जिला कप्तान, जिलाधीष, जिला वनमंडल अधिकारी, पुलिस टुकड़ी के साथ बंगले में रुके हुए थे मि. नीलकंठ राव गुडे पर मुकदमा चला और उन्हें जिलाधीष छिन्दवाड़ा ने जिला जज की हैसियत से षा.द. विधान 379 के तहत 6 माह का सक्षम कारावास दिया गया।

भरोदिया प्रक्षेत्र के गोडों के समूह जो समूह जो कानून तोड़ रहे थे, को गिरफ्तार करके सब डिवीजनल जज छिन्दवाड़ा के सामने जंगल कानून तोड़ने के अपराध में पेश किया गया । उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया । परासिया तहसील के डुंगरिया तीतरा गांव के आदिवासी नेता बादल भोई द्वारा श्री विष्णुनाथ दामोदर के नेतृत्व में 21 अगस्त 1930 को रामाकोना के जंगल में वन कानून तोड़ा गया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

छिदवाड़ा जिले की पाण्ढुरना तहसील के दाढ़ीमेटा [5] और अमरवाडा में भी जंगल सत्याग्रह उत्साहपूर्वक संचालित किया गया।[6] इस दौरान जिले के अन्य 26 सत्याग्रहियों को कारावास एवं अर्थदण्ड दिया गया।[7]

## छिदवाडा जिले के प्रमुख जंगल सत्याग्रही [8] –

श्री आत्माराम घाटोक – सन् 1930 से स्वतंत्रता संग्राम में संक्रिय भाग लिया। जंगल सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए एवं छिन्दवाड़ा कारावास में 1 वर्ष 2 माह की सजा एवं 25 बेंतो की सजा मिली।

श्री किशन कोष्टी – सन् 1931 के जंगल सत्याग्रह में भाग लिया फलतः 6 माह का कारावास की सजा मिली।

श्री कुण्डलीक निम्बालकर – इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सन् 1931–32 के जंगल सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 3 मास के कारावास की सजा मिली।

श्री गनपत चौरासे – 1930 से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया एवं जंगल सत्याग्रह में 6 माह का कारावास तथा 25 बेंतो की सजा मिली।

श्री गिरधारीलाल चांडक – इन्होंने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया एवं इन्हे 200 रूपयें का अर्थदण्ड मिला।

श्री गोविंदराम कडक – इन्होंने शराब बेची तथा जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। इन्हें 6 माह के कारावास की सजा मिली एवं बेंतो की पिटाई में मूर्खित हो गए थे।

श्री गंगाराम कुण्डे – इन्होंने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया फलतः 4 माह का कारावास काटना पड़ा।

श्री चिन्धू जी आप्पा – सन् 1926 से स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया एवं 1930 में रामाकोना जंगल संत्याग्रह में 6 माह तथा 1932 में 01 वर्ष 02 माह के कारावास की सजा काटना पड़ा।

श्री जगन्नाथ राव– 1930 में स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया, खुटामा जंगल सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा 15 दिन के कारावास की सजा मिली।

श्री जागोबाजी – 1930 के जंगल सत्याग्रह में भाग लेने पर 100 रूपये का अर्थदण्ड मिला।

उपरोक्त सत्याग्रहियो के साथ ही सर्व श्री डोमादास सोनकुमरे, तुकाराम होसरे, तुकाराम चावके, तुलसीराम बगभार तथा भागवत, नारायण, नारायण दास लोधी, पंचाबराव कडक, फजीत राउत, बलीराम भाण्ड़े, बापूराव कण्टक, बाबूराव कापसे, वारलूजी काले, भीकमसिंह ठाकुर, श्री महोदव, मारोती कडू , माणिकराव चवरे,

माधवराव चौरासे, राजाराम तिवारी, रामलाल बोरीकर, श्री लक्ष्मण, बिठूलराव, श्री विठोबा, श्यामराव कोठेकर, शिवदयाल मालवीय, शंकरलाल माहेश्वरी, सखाराम भोयर, श्री सखाराम, श्रावण गायकवाड, शिवदास हेडाऊ, हरिप्रसाद शर्मा, कृष्ण रेखड़े आदि सत्याग्रही ने भी जंगल सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी किया।

सत्याग्रह दिन – प्रतिदिन चलता रहा, छिदंवाड़ा और सौंसर में दो दिन तक पूर्ण हड़ताल रही । सभी म्यूनिसिपल स्कूल और कार्यालय बंद रहे। अपनी प्राथमिक अवस्था में जंगल सत्याग्रह स्वंय सेवकों के छोटे–छोटे दलों द्वारा रक्षित वनों में प्रवेश करके तोड़ा जाता रहा। ज्यों ज्यों समय बीता सत्याग्रहियों में उत्साह बढता गया और एक के पीछे एक दल सत्याग्रह करने के लिए आगे आने लगे और फिर तो कुछ ऐसा उत्साह बन गया कि परिणामों की परवाह न करते हुए अन्य लोग भी सत्याग्रहियों के साथ शामिल होने लगे जिससे यह सत्याग्रह एक सामूहिक आंदोलन बन गया। अनेक स्थानों पर हजार लोग घास काटने में हिस्सा लेते रहे और अपनी गिरफ्तारी को आमंत्रित करते रहे जो नही हुई।

## निष्कर्ष –

सतपुडांचल में जंगल सत्याग्रह सफल रहा इसमें सभी आयुवर्ग के पुरूष एवं महिलाओं ने भाग लिया एवं जंगल कानून का उल्लघंन घास काटकर, जलाऊ एवं कास्तकारी के उपयोग की लकड़ी काटकर, मवेशी जंगलो में चराकर किया। लोगों ने परिणामों की परवाह किए बगैर आंदोलन में बढ़चढ़ कर भाग लिया। जंगल सत्याग्रह ने राष्ट्रव्यापी सविनय आंदोलन अवज्ञा आंदोलन को परोक्ष व अपरोक्ष रूप से योगदान दिया। दरअसल जंगल सत्याग्रह के द्वारा प्रदेश के आदिवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के अन्याय के खिलाफ क्षेत्र के अंदरुनी भागों में जागरुकता फैली एवं स्वतंत्रता के लिए चलाए जा रहें विभिन्न आंदोलनों में जनभागीदारी सुनिश्चित हुई।

## संदर्भ –

1. मध्यप्रदेश और गाँधी जी – जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन 1960 पृष्ठ क्र. 71
2. डॉ.धनाराम (संपादक) – क्षेत्रीय इतिहास के विविध आयम, अर्थ पब्लिकेशन छिन्दवाड़ा म.प्र. 2021 पृष्ठ क्र. 102
3. वही. पृष्ठ क्र. 103
4. देशमुख,डी.डी. – मध्यप्रदेष के बैतूल जिले में स्वतंत्रता आंदोलन, श्री मंगेष प्रकाषन नागपुर 2019, पृ. क्र. 77
5. देशमुख,डी.डी. –कांग्रेस षताब्दी समारोह पाण्डुर्णा स्मारिका 1985 पृ. क्र. 28
6. चबरे, माणिकराव (संपादक) – स्मारिका, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन, छिन्दवाड़ा 1983 पृष्ठ क्र. 14
7. कलेक्टोरेट, डिस्ट्रिक्ट छिन्दवाड़ा, फ्रीडम फायटर्स जेल रिकार्ड फाइल 10/ यू.11–1, पृष्ठ क्र. 313–19. 525–526
8. चबरे, माणिकराव (संपादक) – स्मारिका, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन, छिन्दवाड़ा 1983 पृष्ठ क्र. 50–83